

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी अर्चना बुगालिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 17 / 2021

दायर दिनांक 07.04.2021

उनवान		
सीमादेवी	बनाम	मिटूलाल

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट0

निर्णय दिनांक: 16.01.2024

--:निर्णय:--

पत्रावली पेश हुई | वकील प्रार्थी हाजिर | अप्रार्थी संख्या 1 व् 2 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रकाश चन्द्र गुर्जर का अधिकार पत्र मय प्रार्थना पत्र पूर्व में पेश शा०फ्रा० रहे | हाजिर वकील अप्रार्थी ने निवेदन किया की प्रार्थना पत्र में अंकित आराजियात संयुक्त खातेदारी की आराजियात है | अतः विधिवत बटवारा नही हो जाने तक पत्थरगडी नही करायी जा सकती है | हमने प्रार्थना पत्र सलग्न जमाबंदी का अवलोकन किया | खाता संख्या 484 के प्रार्थीगण व् अप्रार्थी संख्या 1 व् 2 की खातेदारी से दर्ज रिकॉर्ड है | अतः प्रार्थना पत्र बाबत संयुक्त खातेदारी आराजियत की पत्थरगडी नही करने बाबत स्वीकार किया जाकर मूल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है | प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है | पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो | आदेश सुनाया गया |



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

(अर्चना बुगालिया)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन

